

डिकी व मुकदमें इत्दाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर
इजलास श्री नेमाराय क. म. १

दिवा बाबत 8853, 1880 आर टी एक्ट मुंषाराम बनाम सुखराम कौर 49/2020
राजस्व मूल वाद संख्या B.S. जाखड
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु व वकुलाय हाजरी वकील मंसूर साह मनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि
मनजानिव मुदई वकील मंसूर साह मनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि
वादी का वारी का वाद खीजा किमा जाता है। राजस्व वपाम
वोमज व खसरा संख्या 1736, 1719, 1720, 1721, 1722 में वादी
ने प्रतिवादी के मध्य एक हिस्सा उद्योगिया पीपाड शहर
के पास केंद्रवादी प्रस्ताव मय नजरी नकरा तुला रहेगा
उद्योगिया पीपाड शहर के पास केंद्रवादी प्रस्ताव मय
नजरी नकरा एक सिपाय एवं शिक के मय रहेगी
उद्योगिया पीपाड शहर उकालता राजस्व रेकड के मानश्यक
कार्यवाही करेगी

लीज शून्य मुवलिक शून्य बाबत शून्य खर्चा इस मुकदमें
के मय सूद व शरद शून्य फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख वसूलयाबी तक शून्य को अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.02.25 को जारी की गई।



दस्तखत [Signature]
ओहदा

रुपया	पै	मुदायला	फीसदी व वकिल एक्ट उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर (जोधपुर)
मीजान.....		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक	
		मीजान.....	

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।